

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0 ए0 एस0

उनवान

राजेश कुमार पुत्र धर्मपाल
जाहिजाट निवासी बेटा भादरा

बनाम 1. धर्मपाल पुत्र मनकूत जाहिजाट
2. सृष्णा पुत्री धर्मपाल
3. मुमिता पुत्री धर्मपाल
4. राजबाला पुत्री धर्मपाल
5. राजस्व महका जरिए रखीसया
मादरा
निवासी गण
बेटा

दावा बाबत :- 85 RTI

मुकदमा नम्बर :- 49/21


निर्णय दिनांक :- 28/10/21

वादी की ओर से वकील मुन्नीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सुरेन्द्र गील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28/10/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

~~रही मौजा चक 5 जेरासत के खाना स० 254/239
मु० न० 154 के किला न० 1, 2, 3, 18, 20 मु० न० 155 के किला
प न० 7, 15 कुत प. उ० ह० नदी सप खाता में परिवारिस०
ज धर्मपाल के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है में धर्मपाल का नाम उत्सपन
किपा जात वारी राजेश कुमार जो खातेवात जरह जात घोषित
किया जाता है मुक्ति परिवारीगण स० 1 न० प ने अपना हक
हिस्सा वारी के पय में लाग कर चुन कर किपा है यह
लाग किने गये हिस्से पर निपमाउसत स्याम इसी
अस जाने व परिके मुक्ति मुक्ति के रदन हो रदन
मुक्त होने पर उपरोक्ताउसत राजस्व रिगर्ड में
असन कर रिगर्ड उरुसु किया जावे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़